वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन् के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत चक 17 एम.एम.के. खाता संख्या 88/74 मे स्व. सरजीत कौर के नाम दर्ज 9.841 हैक्टर, खाता संख्या 13/12 मे स्व. जगदेव सिह के नाम दर्ज 1.012 हैक्टर व अमृतपाल सिह के नाम दर्ज 0.253 हैक्टर भूमि में सरजीतकौर, जगदेवसिंह, तथा अमृतपालसिंह का नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर वादी अर्शदीपसिह तथा प्रतिवादी संख्या 2 अरमान दीपसिह पुत्रान अमृतपाल सिह पुत्र जगदेव सिह जाति जटसिख निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाता है। तथा चक 18 एल.एल. डबल्यू. (ए) में खाता संख्या 107/107 में जगदेवसिंह के नाम 0.253 हैक्टर तथा खाता संख्या 86/84 मे विचित्र सिह व जगदेव सिह के नाम 1.012 हैक्टर भूमि में जगदेवसिंह व विचित्रसिंह का नाम विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 अमृतपाल सिह पुत्र जगदेव सिह जाति जटसिख निवासी हिरनावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ को का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिनांक 22.09.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
हनुमानगढ़

प्रमाणित प्रतिलिपि
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

मिलान किया

Scanned with CamScanner